

FORM NO - 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम- सिरौही

प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी

अल्पेश पुत्र स्व. रावाजी, जाति-सरगडा,
निवासी-सुजानपुरा, बरलुट, तहसील-
व जिला-सिरौही, हाल-आणद (गुजरात)
व अन्य एक

रतीलाल पुत्र पदमारामजी, जाति-सरगडा
निवासी-सुजानपुरा, बरलुट, तहसील व
जिला- सिरौही, हाल-आणद (गुजरात)
व अन्य तीन

किस्म मुकदमा - पंचायत निगरानी

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधि. 1994

प्रकरण संख्या 45/2023

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हए
06.7.2023	<p>प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी रतीलाल पुत्र पदमाजी सरगडा, निवासी- बरलुट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 23.5.2023 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही के अवकाश पर होने से प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यह निगरानी आवेदन अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार में है, परन्तु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही अवकाश पर है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जावे। मिसल वास्ते तामिली रिपोर्ट आयन्दा दिनांक 21.7.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">हुकम जिला कलेक्टर, सिरौही</p>	
21.07.2023	<p>पत्रावली काज पेक्ष इन्ही प्रार्थी काधिकारता उपस्थित/ कापार्थी संख्या एक व दी स्वयं उपस्थित/ कापार्थी संख्या तीन व चार अनुपस्थित काज: पत्रावली वास्ते जखण दिनांक 02.08.2023 को पेक्ष ही।</p> <p style="text-align: right;">हुकम जिला कलेक्टर, सिरौही</p>	<p>रजिस्ट्रार 21.07.2023</p> <p>Sawney.</p>
02.08.2023	<p>पीठासीन काधिकारी महीसय कावश्यक कर्तों से व्यस्त ही काज: पत्रावली काज कापार्थी की पालना से कापार्थी दिनांक 16.10.2023 को पेक्ष ही।</p> <p style="text-align: right;">हुकम जिला कलेक्टर, सिरौही</p>	

16.10.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री शैतान भाटी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक से चार अनुपस्थित। प्रकरण को प्रार्थी अधिवक्ता आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र को जरिए Not Press खारिज करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जरिए Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Beema
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

Not
Press
Beema